निर्णय व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :107 / 2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

सियाराम पुत्र श्री नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम आकोडिया तहसील चाकसू जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. गोपाली देवी पत्नी जगदीश नारायण जाति ब्राह्मण, निवासी टौंक रोड, सुखपुरिया इण्डस्ट्रीयल एरिया, सीतापुरा, जयपुर ।
2. श्रीमती तीजा देवी पत्नी नारायण
3. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी नारायण
4. प्रियंका पुत्री नारायण
5. शान्ति देवी पुत्री नारायण
6. कैलाश पुत्र नारायण

समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील चाकसू, जिला जयपुर ।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर ग्रामीण।
8. श्री शिवचरण शर्मा आर॰ए॰ एस॰ पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर ग्रामीण।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 138 / 2022 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या ..... 2022 / ब उनवानी गोपाली देवी बनाम तीजा देवी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री सुभाष निठारवाल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री कालूसिंह राजावत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से ।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक 08.10.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष प्रकरण संख्या 138/2022 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या ..... 2022/ ब उनवानी गोपाली देवी बनाम तीजा देवी व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चाकसू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री कालूसिंह राजावत ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उप खण्ड अधिकारी चाकसू द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के प्रभाव व राजनैतिक दबाव में आकर उक्त प्रकरण का निस्तारण करने पे आमदा है। प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि प्रार्थी के साथ न्याय नहीं होगा। ऐसी सूरत में प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित नहीं किया गया तो प्रार्थी अपने हक व हकूकों से महरूम हो जायेगा एवं प्रार्थी मिलने वाले न्याय से महरूम हो जायेगा। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 6 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है, परन्तु चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर की है। इसलिए न्यायहित में इस प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी चाकसू के पीठासीन अधिकारी से प्रकरण में न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी संख्या 6 के अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाता है।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

8. उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 138/2022 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या ...../2022 व उनवानी गोपाली देवी बनाम तीजा देवी व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा में अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 11.11.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा में उपस्थित हो।
9. उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।
10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू एवं उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
11. निर्णय आज दिनांक **08.10.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner